

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
प्रयागराज

2- कुलसचिव,  
लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 0 / जून, 2021

विषय:- निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-223 / सत्तर-7-2020-बी0एड0(16) / 2011 दिनांक 24 जून, 2020 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी0एड0 पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के लिये प्रथम वर्ष हेतु रू0 51,250 /- तथा द्वितीय वर्ष के लिए रू0 30,000 /- पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारित किया गया है।

2- एन0सी0टी0ई0 नियमावली, 2002 के प्रस्तर-6(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या-1561 / सोलह-1-2008-5(डब्ल्यू-48) / 2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-2463 / 2008-सोलह-ए-5 (डब्ल्यू-48) / 2003 दिनांक 27 जून, 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारण के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 10-02-2021 को अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार किया गया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में जनसामान्य की आय में कमी आई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्य 'सभी के लिए शिक्षा' के परिप्रेक्ष्य में छात्र-शिक्षक अनुपात उचित बनाये रखने हेतु अधिक संख्या में बी0एड0 प्रशिक्षण शिक्षकों की आवश्यकता होगी। साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में पिछड़े / दलित / वंचित / गरीब वर्ग के अभ्यर्थियों को भी व्यवसायिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किये जाने पर जोर दिया गया है।

3- उक्त के दृष्टिगत जनहित में निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्ववित्तपोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क को कम किये जाने का निर्णय लिया गया है। बी0एड0 पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को स्टेशनरी, यूनिफार्म आदि की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रथम वर्ष में द्वितीय वर्ष की तुलना में अधिक शुल्क निर्धारित किया गया है।

4- सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्ववित्तपोषित बी0एड0 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रथम वर्ष हेतु शुल्क रू0 45,000 /- तथा द्वितीय वर्ष के लिए शुल्क रू0 25,000 /- रखे जाने का निर्णय लिया गया है।



इसके साथ ही एकीकृत 04 वर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रत्येक वर्ष हेतु शुल्क रू0 30,000/- रखे जाने का भी निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 24 जून, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(श्रवण कुमार सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को बेंवसाइट पर प्रदर्शन हेतु एवं सभी सम्बन्धितों को ई-मेल के द्वारा प्रेषित करने हेतु।
- 7- समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(कैलाश नाथ राम)  
अनुसचिव।